



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2011/फाल्गुन 10, 1932

No. 394]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2011/PHALGUNA 10, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
का.आ. 461(अ).—यतः, मै. ओरियंट क्राफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य में ग्राम बांस हरिया, जिला गुडगांव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशेष विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;	3.	बांस हरिया	12	16/1	0.04047
और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;	4.			16/2	0.08347
अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—	5.			16/3	0.28581
	6.			25/1	0.17199
	7.		14	4	0.40469
	8.			5	0.40469
	9.			6	0.40469
	10.			7	0.40469
	11.			8	0.40469
	12.			9	0.44515
	13.			10/1	0.12646
	14.			10/2	0.23016
	15.			11	0.40469
	16.			12	0.31363
	17.			13/2	0.11129
	18.			14/2	0.11129
	19.			15/2	0.11129
	20.			19	0.40469
	21.			20	0.40469
	22.			21	0.40469
	23.			22	0.40469
	24.			23	0.40469
	25.		15	1	0.40469
	26.			2	0.40469
	27.			3	0.40469

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	मुस्तिल संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बांस हरिया	12	6	0.27063
2.			15	0.40469

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	बांस हरिया	15	4	0.40469	72.	बांस हरिया	29	14/2	0.08600
29.			5	0.40469	73.			14/3	0.05311
30.			6	0.40469	74.			15	0.38951
31.			7	0.40469	75.			16	0.38445
32.			8	0.40469	76.			17	0.40469
33.			9	0.40469	77.			18	0.38445
34.			10	0.40469	78.			19/2	0.20234
35.			11/2	0.10117	79.			22	0.40469
36.			12	0.40469	80.			23	0.36422
37.			13	0.40469	81.			24	0.38192
38.			14	0.40469	82.			25	0.38445
39.			15	0.40469					
40.			16/1	0.04047					
41.			16/2	0.36422					
42.			17	0.40469					
43.			18	0.40469					
44.			19/2	0.38192					
45.			20/1/2	0.15176					
46.			21/2	0.16187					
47.			22	0.40469					
48.			23	0.40469					
49.			24	0.40469					
50.			25/2	0.05059					
51.		28	2	0.40469					
52.			3/1	0.21246					
53.			4/1	0.24787					
54.			4/2	0.15682					
55.			5	0.38445					
56.			6	0.38445					
57.			7	0.40469					
58.			14/1	0.39204					
59.		29	1/2	0.15176					
60.			2	0.40469					
61.			3	0.40469					
62.			4	0.40469					
63.			5/1	0.03035					
64.			5/2	0.37433					
65.			6	0.40469					
66.			7	0.40469					
67.			8	0.40469					
68.			9	0.38445					
69.			12	0.38445					
70.			13	0.40469					
71.			14/1	0.27569					

कुल 26.56019  
हेक्टेयर

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, —सदस्य, पदेन  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव,  
भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त  
विदेश व्यापार महानिदेशक
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क  
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त  
अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त  
आयुक्त से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय —सदस्य, पदेन  
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त  
अथवा उसका नामिती जिसका स्तर  
संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन  
बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने —सदस्य, पदेन  
वाले दो अधिकारी जिनका स्तर  
संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
- जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि —विशेष  
आमंत्रिती

